न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः— 02/2018 निर्णय दिनांक :—02.12.19

उनवानी दावा :

1. भरतराज पुत्र श्री रंगलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी धुवांकला तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. निर्मल कुमार पुत्र श्री रंगलाल जाति मीणा उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिए संरक्षक माता श्रीमती प्रेम देवी पत्नी रंगलाल निवासी धुवांकला तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

— अपीलान्ट —

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत धुवांकला तहसील दूनी जिला—टोंक (राज.)
3. तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
4. रंगलाल पुत्र रामनाथ जाति मीणा उम्र बालिग निवासी धुवांकला तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
5. फूला पुत्री रामनाथ पत्नी सोहन जाति मीणा उम्र बालिग निवासी धुवांकला हाल निवासी विजयगढ (बंथली) तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
6. सोहनी पुत्री रामनाथ पत्नी सोहन जाति मीणा उम्र बालिग निवासी धुवांकला हाल निवासी चारनेट तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
7. उगमा पत्नी रामनाथ पत्नी जाति मीणा उम्र बालिग निवासी धुवांकला हाल निवासी विजयगढ (बंथली) तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

— रेस्पोडेन्ट —

उपस्थिति :—
श्री बद्री प्रसाद विजयवर्गीय
अधिवक्ता अपीलान्ट

एकपक्षीय कार्यवाही
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3
इकबालिया जवाब
रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 6

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1587 दिनांक 02.10.2017
ग्राम पंचायत धुंवाकला जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 1587
रेस्पोडेन्ट नं. 3 ता 6 के पक्ष में तस्दीक किया गया

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि नामान्तकरण संख्या 1587 दिनांक 02.10.2017 रेस्पोडेन्ट नं. 1 ग्राम पंचायत धुवाकला द्वारा रामनाथ पुत्र लाखा मीणा निवासी धुवाकंला तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान का फौती नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट नं. 3 ता 6 के पक्ष में तस्दीक किया गयाा। जबकि मृतक

रामनाथ पुत्र लाखाा मीणा ने अपने जीवनकाल में ही अपीलान्ट नं. 1 भरतराज अपीलान्ट नं. 2 निर्मल कुमार के पक्ष में एक वसीयतनामा विलेख दिनांक 23.12.2013 को लिखवाकर दिनांक 01.01.2014 को उपपंजीयक दूनी के यहां पढवाकर, समझकर इसका निष्पादन करना स्वीकार कर पंजियन करवा दिया गया था। अपीलान्ट के दादा रामनाथ पुत्र लाखा मीणा की मृत्यु दिनांक 14.12.2016 को होने के बाद अपीनान्ट ने रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर अपने पक्ष में नामान्तकरण भरकर तस्दीक किये जाने हेतु रेस्पोडेन्ट ने. 3 ता 6 ने मिलीभगत कर मृतक रामनाथ पुत्र लाखा मीणा का फौती नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट नं. 3 ता 6 के पक्ष में फौती नामान्तकरण तस्दीक नहीं होकर रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक होना चाहिए था इस कारण उक्त नामान्तकरण अवैध, अवैधानिक है, जो खारिज किये जाने येाग्य है। अपीलान्ट के दादा रामनाथ पुत्र लाखा मीणा की खातेदारी व कब्जे–काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1952 रकबा 2.06 है0, खसरा नम्बर 2054 रकबा 1.55 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.61 है0 वाके ग्राम धुंवाकला तहसील दूनी जिला टोंक में स्थित है जिस पर रामनाथ पुत्र लाखा मीणा जिंदा रहा तब तक काबिज–काश्त रहा तथा रामनाथ पुत्र लाखा की मृत्यु के उपरान्त अपीलान्ट काबिज होकर काश्तकार कर उपयोग–उपभेग करते चले आ रहे है। मृतक रामनाथ पुत्र लाखा मीणा नें अपने जीवनकाल में ही अपीलांन्ट की अच्छी सेवा–सुश्रुषा से प्रसन्न होकर उक्त अपनी स्वअर्जित सम्पति/ कृषि भूमि का दिनांक 23.12.2013 को अपीलान्ट के पक्ष में वसीयतनामा लिखवाकर दिनांक 01.01.2014 को उप पंजीयक दूनी के यहां रजिस्टर्ड करवा दिया था। दिनांक 14.12.2016 को अपीलान्ट के दादा की मृत्यु होने के बाद अपीलान्ट ने अपने दांदा की उक्त भूमि में रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर अपने नाम नामान्तकरण तस्दीक करवाने के लिए दिनांक 24.01.2017 को रेस्पोडेन्ट नं. 2 के यहां प्रार्थना पत्र मय रजिस्टर्ड वसीयतनामा की फोटो प्रति सहित दी। लेकिन रेस्पोड्रेन्ट नं. 3 ता 6 चालाक होने से मिलीभगत करके अपीलान्ट के दादा की अपीलान्ट के पक्ष में की गई रजिस्टर्ड वसीयतनाम के होते हुए भी रेस्पोडेन्ट नं. 1 से उक्त भूमि का फौती नामतान्तकरण अपने नाम तस्दीक करवा लिया गया जबकि रेस्पोडेन्ट नं. 2 द्वारा उक्त भूमि का नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड वसीयतनामा की विधिवत जांच की जाकर अपीलान्ट के नाम उक्त भूमि का नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था। रेस्पोडेन्ट नं. 3 ता 6 द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 1 से गलत रूप से उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने नाम से तस्दीक करवा लिया जो विधि अनुसार गलत है, अवैध है, अवैधानिक है जो खारिज किये जाने योग्य है। जब अपीलान्ट उक्त भूमि के लिए के.सी.सी ऋण प्राप्त करने हेतु जमाबन्दी लेने हेतु पटवारी के पास गये तो पटवारी ने बताया कि उक्त भूमि आपके नाम नहीं है, रेस्पोडेन्ट नं. 3 ता 6 के नाम दर्ज है। तत्पश्चात् अपीलान्ट ने अपने दादा का

फौती नामान्तकरण संख्या 1587 दिनांक 02.10.2017 की नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.2017 को दिया जो दिनांक 19.12.2017 को हुआ है, से अपीलान्ट को जानकारी मिली कि उक्त नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज नहीं हुआ है। परिस्थितिवश अपील पेश करने में कुछ ही समय की देरी हुई है, जो क्षमा किये जाने योग्य है। फिर भी विलम्ब माना जावे तो उसेके कण्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा है।

रेस्पोडेन्ट की तलबी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 6 की ओर से श्री बाबूलाल मीणा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने एक एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। श्री बाबूलाल मीणा अधिवक्ता जवाब 4 ता 6 की ओर से पेश किया गया जो इस प्रकार है– अपील का चरण नं. 1 स्वीकार है। उक्त नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट ने. 4 ता 6 की बिना सहमति के आधार पर खोला गया है जबकि उक्त आराजीयात को रेस्पोडेन्ट ने. 4 व 5 के पिता व रेस्पोडेन्ट नं. 6 के पति के द्वारा उक्त आराजीयात की वसीयत अपीलान्ट के हक में लिखवाकर दिनांक 01.01.2014 को उपपंजीयक महोदय दूनी के यहां पंजीकृत करवा दिया गया था। अपील का चरण नं. 2 स्वीकार है। उक्त आराजीयात पर अपीलान्ट ही रामनाथ की मृत्यु के बाद काबिज–काश्त करते चले आ रहे है। अपील का चरण नं. 3 स्वीकार है। अपील चरण नं. 4 स्वीकार है। रेस्पोडेन्ट नं. 4 ता 6 कभी भी अपने पक्ष में नामान्तकरण खुलवाने के लिए रेस्पोडेन्ट नें. 1 समक्ष उपस्थित नहीं हुए बल्कि उक्त आराजीयात को रामनाथ के द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत कर दी थी जिसमें हमारी पूर्ण रूप से सहमति थी। अपील का चरण नं. 5 स्वीकार है। चरण नं. 6 ता 8 कानूनी है, जवाब की आश्यकता नहीं है। अंतः रेस्पोडेन्ट नं. 4 ता 6 की ओर से अपील का जवाब पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1587 दिनांक 02.10.2017 को खारिज किया जाकर आराजी हाल खाता संख्या 533 खसरा नंम्बर 1952 रकबा 2.06 है0, खसरा नम्बर 2054 रकबा 1.55 है0 वाके तनग्राम धुवांकला पटवार हल्का धुवाकला तहसील दूनी में स्थित है, वसियत विलेख के आधार पर अपील में वर्णित भूमि को अपीलान्ट के नाम बतौर खातेदारी दर्ज कर दिया जावे तो रेस्पोडेन्ट नं. 4 ता 6 को कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

बहस में अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के मुख्य तथ्यो को ही दोहराया और दस्तावेज मिलान क्षैत्रफल ख. नं. 1992 एवं 2025 हाल ग्राम धुंवाकला व छायाप्रति रजिस्ट्री केता रामनाथ पुत्र लाखा मीणा पेश की है साथ ही असल रजिस्ट्री दिखाकर बताया कि उक्त सम्पति रामनाथ की स्वअर्जित सम्पति है, जिसकी वसीयत करने का

कानूनी अधिकार रामनाथ को था। अतः अपीलान्ट के नाम नाामन्तकरण खोलने हेतु तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र रामनाथ मीणा पुत्र लाखा दिनांक 10.04.17, जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 533 में खातेदार के रूप में रामनाथ पुत्र लाखा दर्ज है। नकल नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम धुंवाकला नामान्तकरण संख्या 1587 के कॉलम संख्या 7 मे मृतक रामनाथ पुत्र लाखा मीणा सा. देह खातेदार के रूप में दर्ज है जिसका विरासत का नामान्तकरण कॉलम 8 में रंगलाल पुत्र, फूला सोहनी पुत्रीयां उगमा देवी पत्नी रामनाथ सा. देह खातेदार के रूप में खोल कर प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 02.10.17 से स्वीकार किया गया है। पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 01.01.14 में रामनाथ पुत्र लाखा ने अपने स्वअर्जित खातेदारी आराजी भरतराज व निर्मल कुमार पिता श्री रंगलाल मीणा निवासी धुवांकला के नाम वसीयत की है। उक्त दस्तावेजात से स्पष्ट है कि रामनाथ ने अपने जीवनकाल में ही अपीलान्ट के नाम उक्त आराजी भूमि का वसीयत कर दी थी जिसका पंजीयन भी उपपंजीयक दूनी के यहां दिनांक 01.01.14 को करवा लिया था। अतः मृतक रामनाथ की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि की वसीयत एवं विरासत कि आधार पर भिन्न–भिन्न वारिसान प्रकरण मे विधिक बिन्दू निहीत होने से प्रकरण को निस्तारण सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये था। किन्तु उक्त प्रकरण में वसीयत का बिना निस्तारण किये ग्राम पंचायत द्वारा एक पक्षीय रूप से विरासत के आधार पर नमान्तकरण खोला गया है। अतः हमारी विधिसम्मत राय है कि नामान्तरकण संख्या 1587 ग्राम पंचायत धूवांकलां वैधानिक रूप से बिना वसीयत का निस्तारण किये फैसल किये जाने से खारिज योग्य है। अतः नामान्तकरण संख्या 1587 ग्राम पंचायत धुवांकलां खारिज किया जाकर तहसीलदार दूनी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वसीयत एवं विरासत की सभी पक्षाकारान को सुना जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित कर नामान्तकरण तस्दीक किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
देवली